

प्ररूप 2घ
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

विधान सभा के सदस्यों द्वारा (राज्य)की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन ।

पूरे चेहरे को सामने से
उपदर्शित करते हुए
श्वेत/श्वेताभ पृष्ठभूमि में (2
से.मी.x2.5 से.मी.) स्टांप
आकार का नवीनतम फोटो
चस्पा करें

भाग 1

हम एतद्द्वारा ऊपरिवर्णित निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम[पिता/माता/पति का नाम]

उसका डाक पता.....उसका नामविधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम विधान सभा के सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152
के अधीन रखी गई सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और हम इस नामनिर्देशन के
प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में प्रविष्टि क्रम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- *10.

*प्रस्थापक विधान सभा के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिए ।

मैं, ऊपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि--

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है ;
- (ख) मैंने वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।
- (ग) मैं इस निर्वाचन में पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ ।
- (घ) मेरा नाम और मेरे [पिता/माता/पति का नाम] ऊपर(भाषा का नाम)में सही रूप से लिखा गया है ;और
- (ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं.....(राज्य)की विधान परिषद् में रिक्त स्थान को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा, चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ ।

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग 2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को--

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की--

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ;या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ;या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है ।

यदि उत्तर“हां”में है, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....
- (ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला(जिले).....राज्य.....
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था.....
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख(तारीखें).....
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया
- (vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने की राशि उपदर्शित करें]
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

हां/नहीं

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे :हां/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियां.....
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—
- (क) निपटारे की तारीख(तारीखें).....
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति.....
- “(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे.....
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है.....
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषुक्ति के अधीन है ?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, ब्यौरे दीजिए.....
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि.....
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख.....
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा(संविदाएं) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा(ओं) के ब्यौरे.....
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है?.....(हां/नहीं)
-यदि हां, निरर्हन की तारीख.....”

स्थान:

तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग 3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं०.....

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय

में.....(तारीख)को.....(बजे)अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम)द्वारा
परिदत्त किया गया ।

तारीख रिटर्निंग आफिसर

भाग 4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित
कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ--

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

.....(छिद्रण).....

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं०.....

.....का,जो.....(राज्य)की विधान परिषद् के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख)को

.....(बजे)अभ्यर्थी/प्रस्थापक (नाम)द्वारा परिदत्त किया गया है । सभी

नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (तारीख)को.....(बजे) (स्थान)में की जाएगी

।

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

टिप्पण :-जहां अनुकल्प दिया गया है वहां लागू न होने वाले शब्द(शब्दों) काट दीजिए ।